UPBN010054102026

Presented on : 04-08-2026
Registered on : 04-08-2026
Decided on : 18-08-2026
Duration : 0 years, 0 months, 14 days

IN THE COURT OF
A.D. AND S.J., COURT NO.-9 BUDAUN AT ,Budaun
Presided Over by SURENDRA PAL SINGH
Bail Application/1973/2026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०)एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–9 बदायूँ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1973/2026
सी०एन०आर०नम्बर–यू०पी०बी०एन०–1005410/2026
1–चॉदनी
2–रूकसार बनाम राज्य ।
मु०अ०सं०–201/2026
धारा–109 (1) बी०एन०एस०
थाना–विनावर, जिला बदायूँ।

दिनांकः–18–08–2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता चांदनी पत्नी नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी निवासी भौपुरा थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद व रूकसार पत्नी इमरान निवासी दिलशाद गार्डन,थाना सीमापुरी नई दिल्ली की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र जरिये पैरोकार सायरा बानो द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र के पैरा–3 में यह अंकित किया गया है कि शपथकत्री उपरोक्त मुकदमे की मुल्जिम रूकसार की सास है तथा चांदनी की सगी मां है। यह कि विकालतनाा व पर्चा पैरवी पूर्व में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्तागण के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थिनीगण को उपरोक्त मुकदमे मे झूठा व रंजिशन फसाया गया है। यह कि प्रार्थिनीगण से कोई भी बरामदगी नही दिखाई गयी है। यह कि उपरोक्त मुकदमे का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। यह कि प्रार्थिनीगण अपने पूरे परिवार के साथ अपनी रिश्तेदारी मे लभारी थाना कादरचौक जिला बदायूँ जा रही थी तथा पुलिस द्वारा गाडी रोककर अवैध रूप से धन की मांग की गयी और न देने पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया गया है। यह कि घटना दिन के समय की है और प्रार्थिनीगण को 1.40 वजे दिन मे गिरफतार किया है। यह कि प्रार्थिनीगण द्वारा किसी पुलिस वाले को कोई हानि नही पहुंचाई गयी और न ही कोई चीज बरामद हुई है। यह कि उपरोक्त मुकदमे मे प्रार्थिनीगण द्वारा कारित कोई भी पुलिस वाले चुटैल नही है। यह कि प्रार्थनी व पूरे परिवार के उपर दो झूठे मुकदमो मे चालान कर दिया गया जिसमे एक घटना दि० 09–07–2026 की दिखाई गयी है जिसकी अज्ञात मे रिर्पोट दर्ज थी उसमे भी प्रार्थिनीगण को झूठा नामित कर दिया गया है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2– प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम जौहरी एडवोकेट द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के समय यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तागण को रंजिशन झूंठा फसाया गया है तथा उनसे कोई बरामदगी नही दिखायी गयी है और उपरोक्त मुकदमे का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है जबकि घटना दिन के समय की है तथा उक्त अभियुक्तागण के द्वारा तथाकथित घटनास्थल पर किसी पुलिस

वाले को कोई हानि नहीं पहुॅचायी गयी है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तागण चांदनी व रूकसार को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3– उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी० पी०एस०) श्री अतुल कुमार सिंह तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्तागण चांदनी व रूकसार की जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि वर्तमान अभियुक्तागण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी, विट्ठल बंसल उर्फ ललित, इमरान के साथ मिलकर अवैध असलाह से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर कां० सुधीरपाल को घायल किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर अवैध आग्नेयास्त्रों से की गयी फायरिंग व हमले के जवाव में पुलिस द्वारा की गयी जवावी फायरिंग में मौके से अभियुक्त नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी जो कि घायल अवस्था में पड़ा थ, को पकड़ने पर उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, नाल से एक खोखा कारतूस एवं जमींन से एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है एवं मौके से गिरफ्तार दूसरे घायल अभियुक्त विट्ठल बंसल उर्फ ललित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, नाल मे फसा एक जिन्दा कारसतूस एव जेब से एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में अभियुक्तगण के द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा इसी महीने एक व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक, बिनावर में रूपयों का लालच देकर 16000/– रूपये ले लिए थे और उस दिन उनका पूरा गैंग वे स्वंय तथा उनके साथ हमराही इमरान अली पुत्र रियासत अली व चांदनी पत्नी नवीन उर्फ सनी उर्फ लकी व रूकसार पत्नी इमरान भी थे तथा ईको कार भी उनके पास थी उन सभी ने रैकी करते हुए बैंक के अंदर उक्त दोनों अभियुक्तगण गये तथा वाकी तीनों बाहर से रैकी कर रहे थे। आज भी वे बैंक देखने आये थे और सुबह मौका मिलने पर पुनः नया मुर्गा फसाकर अपने काम को अंजाम देते। अभियुक्त नवीन ने बताया कि भागने वालों में उसकी पत्नी चांदनी तथा उसका साला इमरान एवं इमरान की पत्नी रूकसार है। ईको कार को चैक करने पर कण्डैक्टर की सीट की तरफ से एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर पड़ा मिला तथा कार के सम्बन्ध में नवीन ने बताया कि कार उसके नाम है और बरामद रूपये के बारे में बताया कि जो उन्होने विनावर बैंक से एक व्यक्ति से 16000/–रूपये ठगे थे, उन्होने आपस में आधे–आधे बांट लिये। इस प्रकार उपरोक्त दोनों अभियुक्तागण चांदनी एवं रूकसार द्वारा सह अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी व विट्ठल बंसल उर्फ ललित द्वारा एक गिरोह के रूप में भिन्न–भिन्न स्थानों पर ठगी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और मौके पर सभी अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके कां० सुधीर पाल को घायल किया गया है। पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या दि० 16–08–2026 में अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं० –187/2026 धारा–318(4), 317(2)बी०एन०एस० तथा मु०अ०सं० 201/2026 धारा–109(1)/191(2)बी०एन० एस० थाना बिनावर जनपद बदायूॅ दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तागण चांदनी व रूकसार के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०एक्ट) को सुना गया तथा जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने से प्रस्तुत/प्रेषित पुलिस आख्या दि० 16–08–2026 तथा केस डायरी मे वर्णित प्रपत्रों एवं तर्को का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

5– प्रस्तुत मामले की फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 29–07–2026 को उप निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्र मय एक जरब पिस्टल मय 10 कारतूस मय हमराही व उप निरीक्षक बलवीर सिंह मय एक जरव पिस्टल मय 08 कारतूस व कां० 459 अंकुर कुमार व कां० 938 जतिन कुमार व कां० 2078 सुभम व कां० 2479 सुधीर पाल को बाद दिलाकर कर मालग्रह से क्रमशः 01–01 जरव इन्सास मय 20–20 अदद कारतूस मय जीप सरकारी यू०पी० 32 ई जी/8113 मय चालक हे०कां० 977 विनीत कुमार के वास्ते देखरेख क्षेत्र शान्ति एवं कानून व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध वाहन /व्यक्ति व तलाश

वांछित व एन०बी०डब्लू० वारंटी, पैडिंग विवेचना में थाना हाजा से बहवाले रपट न०–04 समय 01.25 बजे पर रवाना होकर बरेली, बदांयू रोड पर गंगा एक्सप्रेस वे अन्डर पास के नीचे चैंकिग कर रहे थे कि मुखविर खास आया और सूचना दी की आपके थाने पर जो मुकदमा लिखा है जिन्होने बैंक में धोखा धड़ी कर रूपये ले लिये थे वह गैंग आज फिर कोई अन्य घटना करने के लिये घूम रहा है ईको कार नं०–डी०एल० 5 सी०जे०/8911 है जो विनावर की तरफ से बदांयू की तरफ आ रही है और मुखविर चला गया। इस सूचना पर उप निरीक्षक द्वारा हमराहियान को भली प्रकार से अवगत कराकर एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर कि किसी के पास जुर्म से सम्वन्धित कोई वस्तु तो नही है, जनता के गवाह तलाश करने की कोशिश की गई,ना वक्त होने के कारण कोई गवाह नही मिल सका कि थोडी देर वाद एक ईको कार विनावर की तरफ से आती दिखायी दी जिसे पुलिस वालों ने टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया तो नहीं रूकी और तेज गति से चलाकर पुलिस वालों की तरफ आ गई और कन्डक्टर की साईड की तरफ बैठे व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर फायर कर दिया जिससे पुलिस वाले बाल–बाल बच गये और ईको कार को तेजी से भगा कर बदांयू की तरफ वने सर्विस रोड पर भगाने लगा। पुलिस वालों को यकीन हो गया कि ईको कार में बदमाश है और पुलिस वालों ने विना देर किये सरकारी गाडी से पीछा करना शुरू कर दिया। वादी उप निरीक्षक द्वारा गाडी के वायरलैश सैट द्वारा थाने को अवगत कराया गया कि वदमाशों द्वारा पुलिस वालों पर फायर कर दिया है जिसका पीछा कर रहे हैं तथा वताया गया कि कंट्रोरूम को अवगत करा दें। थोडी देर वाद ईको कार ग्राम औरंगाबाद माफी की तरफ को मुड गयी जिसका पुलिस वालों ने पीछा किया और कुछ दूर चलकर ईको कार अचानक सन्तुलन खोकर रोड से कच्चे की तरफ उतर गयी और कच्चे में फंस गयी। ईको कार से कन्डक्टर व ड्राईवर उतर कर चिल्लाते हुये कहा की इमरान तू रूकसार और चांदनी को लेकर भाग। इन पुलिस वाले कुत्तों को हम देख लेंगे तथा भागने वालों ने भी कहा कि इन पुलिस वालों को छोडना मत जान से मार देना। वादी उप निरीक्षक द्वारा उक्त बदमाशों को ललकारते हुये कहा गया कि तुम्हें चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेर लिया गया है, अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो जिसपर बदमाशों ने पुनः पुलिस पर फायर कर दिया जिसमे से एक फायर कां० सुधीर पाल के वायें बाजू को छूकर निकल गई जिस पर कां० सुधीर पाल ने चिल्लाकर कहा कि साहव मेरे वाजू में उसे गोली लग गई है जिस पर वादी उप निरीक्षक द्वारा का० जतिन कुमार को कां० सुधीर पाल को सम्भालने हेतु निर्देशित कर पुनः थाना हाजा व कन्ट्रोल रूम को बदमाश द्वारा पुलिस वालों पर फायरिंग करने व बदमाश की गोली से कां० सुधीर पाल के घायल होने के सम्बन्ध मे अवगत कराते हुये अपने साथियो का हौसला अफजाई करते हुए पुनः बदमाश को ललकारते हुए पुनः फायर करने से रोकने के लिये वादी उप निरीक्षक व व० उपनिरीक्षक बलवीर सिंह द्वारा बदमाश को पकडने के आशय से सिखलाये हुये तरीके से अपने–अपने पिस्टल से हिप के नीचे दो–दो राउण्ड फायर किये और बदमाश मौके पर ही गिर गये। पुलिस वालो द्वारा बदमाशों को फायर करने का और मौका न देकर वादी उप निरीक्षक द्वारा पुलिस फोर्स के साथ सिखलाये हुये तरीके से अदम्य साहस का परिचय देते हुये अपनी जान जोखिम मे डालकर बदमाश के पास पहुंचे तो एक बदमाश अपना वांया व एक बदमाश अपना दांया पैर पकडे पडा है और कराह रहे हैं। दोनों वदमाशों ने वारी–बारी से पुलिस वालों से कहा कि साहब उनके पैरो में गोली लग गई है तथा मौके से भागे व्यक्तियो का पीछा करने हेतु कां० अंकुर कुमार व कां० शुभम को भेजा गया जो थोडी देर वाद वापस आ गये हैं तथा वताया कि साहव वह तीनों अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहे। पुलिस वालों ने घायल बदमाशों के पैरो पर जहाँ गोली लगी है एक गमझा बांधा ताकि खून ज्यादा न बहे। जिसपर वादी उप निरीक्षक द्वारा उक्त घटना से कन्ट्रोल रुम को थाने को सहायातार्थ अवगत कराते हुये अन्य फोर्स मौके पर व फील्ड यूनिट व एम्बूलेन्स को मौके पर तलब करते हुये घायल बदमाशों से टार्च व कार कि रोशनी में नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो कन्डक्टर सीट की तरफ से उतरे व्यक्ति ने अपना नाम नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी पुत्र

राजकुमार उर्फ सतपाल उर्फ दयानन्द निवासी भौपरा थाना टीला मोड जिला गाजियावाद उम्र करीब 34 वर्ष जिसके वांये पैर में गोली लगी है जिसकी जामा तलाशी ली तो पास ही जमींन पर एक अदद तमंचा 315 बोर पडा है जिसे उठा कर खोल कर देखा गया तो तमंचे मे एक खोखा कारतूस चला हुआ फसा है तथा तंमचे को सूघं कर देखा तो ताजा चले वारूद की गन्ध आ रही है। तंमचे को वापस जमीन पर रखा गया तथा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर जमीन पर पडा है। जामा तलाशी ली गई तो इसकी पहनी पेन्ट की वांयी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ जिस पर के०एफ 8 एम एम लिखा है तथा पहनी पेन्ट की पीछे की जेव से 500/–रू० के 08 नोट कुल 4000/–रूपये मिले तथा ड्राईवर सीट की तरफ से उतरे दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम विट्ठल वंसल उर्फ ललित पुत्र राम कुमार वंसल निवासी 17/3 ज्योति इंकलैव वहादुरगढ थाना वहादुरगढ जिला झज्जर (हरियाणा) उम्र करीव 43 बर्ष हाल पता नन्द नगरी सी–3 डिस्ट्रीक पार्क थाना नन्द नगरी दिल्ली जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है जिसकी जामा तलाशी पास ही जमीन पर एक अदद तमंचा 315 बोर पडा है जिसे उठा कर खोल कर देखा गया तो तमंचे में एक कारतूस जिन्दा कारतूस फसा है जिसकी पेन्दी पर चोट का निशान है। तंमचे को वापस जमीन पर रखा गया तथा जामा तलाशी ली गई तो इसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेव से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 वरामद हुआ जिस पर के०एम० 8 एम एम लिखा है तथा पहनी पेन्ट की पीछे की जेव से 500/– रूपये के 05 नोट कुल 2500/–रूपये मिले। इन व्यक्तियों से बरामद रूपयों व तमंचे व कारतूस व पुलिस पर फायरिंग करने के सम्बन्ध में कठोरता से पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने एक साथ वताया की साहब हमने इसी महिने एक व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक विनावर में रूपये का लालच देकर 16000/–रूपये ले लिये थे और हमारा पूरा गैंग है उस दिन भी हम व हमारे साथी इमरान अली पुत्र रियासत अली निवासी दिलशाद गार्डन थाना सीमा पुरी 95 नई दिल्ली व चांदनी पत्नी नवीन उर्फ सनी उर्फ लक्की निवासी भौपरा थाना टीला मोड जिला गाजियाबाद व रूकसार पत्नी इमरान नि० दिलशाद गार्डन थाना सीमा पुरी 95 नई दिल्ली थे। उस दिन भी यही ईको कार हमारे पास थी। हम सभी ने रैकी की थी और बैंक के अन्दर हम दोनो गये थे वह तीनों बाहर से रैकी कर रहे थे और आज भी वे बैंक देखने आये थे और सुवह मौका मिलने पर पुनः नया मुर्गा फसाकर अपने काम को आसानी से अंजाम देते। लेकिन आज आपने पकड लिया। भागे व्यक्तियों के बारे मे पूछा तो बताया कि वही तीनों है जिनके वारे मे उसने आपको वताया है तथा नवीन उपरोक्त द्वारा वताया गया कि साहव भागने वालों मे चांदनी उसकी पत्नी है तथा इमरान उसका साला है व रूकसार, इमरान की पत्नी है। कार ईको को चैक किया गया तो कार ईको में कन्डकटर सीट की तरफ एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर पडा है तथा पकडे गये व्यक्तियों से कार के वारे मे पूछा तो नवीन उपरोक्त द्वारा बताया की कार उसके नाम पर है जिसे ईचालान एप पर चैक किया गया तो ईको कार उपरोक्त नवीन उपरोक्त के नाम पर अंकित होना पाया गया। वरामद रूपये के बारे मे पूछा गया तो वताया की साहव यह वही रूपया है जो उस दिन उन्होने विनावर बैंक में एक व्यक्ति को ठगकर 16000/–रूपये लिये थे जो उन्होने आपस में आधे–आधे वांट लिये थे उनमे से कुछ रूपये खर्च हो गये है जो वचे थे वो यही हैं। साहव वह लोग तमंचा व कारतूस अपने बचाव के लिये रखते हैं। उस दिन भी पास था ताकि कोई उनसे उलझ न जाये। जरुरत पडने पर तमंचे का इस्तेमाल करने से भी नही चूकते हैं। साहब गलती हो गई माफ कर दो। अभियुक्तों से बरामद तमंचा, कारतूस रखने का लाईसेन्स तलब किया तो दिखाने से कासिर रहे। जिस पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 187/26 धारा 318 (4) बीएनएस से अवगत कराते हुये बढोत्तरी धारा–317 (2) बीएनएस व धारा–3/25/27 बीएनएस (पुलिस मुठभेड) से अवगत कराते हुये समय करीब 04.10 बजे हस्व कायदा हिरासत पुलिस मे लेकर मौके पर घायल अभियुक्तगणों नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी व विट्ठल वंसल उर्फ ललित व कां० सुधीर पाल को जिसके बांये बाजू पर रुमाल बांध दिया गया है। मौके पर उप निरीक्षक शेरपाल मय हमराही का० 3062 अंकित व

का0 3274 अमित कुमार व चालक हे०कां० 410 राज किशोर जीप सरकारी नं०–यू०पी० 24 जी/0304 आ गये। अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी व विट्ठल वंसल उर्फ ललित व कां० सुधीर पाल को सरकारी गाडी में जीवन रक्षार्थ इलाज हेतु उप निरीक्षक शेरपाल मय हमराही कां० 3062 अंकित व कां० 3274 अमित कुमार व चालक हे०कां० 410 राजकिशोर के साथ प्राथमिक उपचार हेतु बाट हिदायत मुनासिब सीएचसी बिनावर रवाना किया गया। इस कार्यवाही के दौरान ही कुछ देर बाद ही फील्ड यूनिट की टीम व थाने से अन्य फोर्स मौके पर आ गया। जिस पर फील्ड यूनिट टीम के द्वारा घायल अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से प्रयोग किये गये, दो अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा राउण्ड 315 बोर व पुलिस वालो द्वारा चलाये गये 9 एम एम के 04 राउण्ड खोखों को ढूढने का प्रयास किया और 04 राउंड के खोखा कारतूस मिल गये। मौके से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये कब्जा पुलिस लिया गया। फील्ड यूनिट टीम के द्वारा 02 अदद तमंन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस जिसकी पैन्दी पर चोट का निशान है व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 04 राउण्ड 9 एमएम खोखा कारतूसों को मौके से उठाकर अगल–अलग पारदर्शी पोलीथीन मे मे रखकर चिटबन्दी कर नियमानुसार मैमो तैयार कर उप निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार मिश्रा के सपुर्द किया गया। बरामद तमंचे की कुल लम्बाई 01 बालिस्ट 05 अंगुल, नाल लोहा 11 अंगुल, बडी लोहा 05 अंगुल, जिसके ऊपर हैमर तथा नाल को खोलने व बंद करने के लिए ऊपर लोहे का खटका लगा है तथा नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है तथा पीछे वट पर लकडी की चाप लगी है जो दोनो तरफ स्क्रू से कसी है वट की लम्वाई 05 अंगुल है। नाल पर नीशाना शाधने के लिये फोर साईड की नोक लगी है जो चालू हालत में है। तमंचे को खोलकर चेक किया तो नाल मे एक खोखा कारतूस 315 बोर फंसा है जिसकी पेंदी पर के०एम० 8 एमएम लिखा है, पैंदी पर चोट का निशान है जिसे सूंघने पर ताजे चले बारूद की गंन्ध आ रही है। बरामद तमंचे की कुल लम्बाई 01 बालिल्ट 04 अंगुल, नाल लोहा 11 अंगुल, बडी लोहा 06 अंगुल, जिसके ऊपर हैमर लगा है है जिस पर निशान है व बंद करने के लिए ऊपर लोहे का खटका लगा है जिस पर निशान वने है तथा नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा है तथा पीछे वट पर लकडी की चाप लगी है जो दोनो तरफ स्क्रू से कसी है वट की लम्बाई 05 अंगुल है। नाल पर नीशाना साधने के लिये फोर साईड की नोक लगी है जो चालू हालत में है। तमंचे को खोलकर चेक किया तो नाल मे एक अदद कारतूस 315 बोर फंसा है जिस पर चोट का निशान है जिसकी पेंदी पर के०एम० 8 एमएम लिखा है, मौके पर पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से फायर किये गये 04 खोखा कारतूस 9 एमएम बरामद हुये तथा एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर जिसकी पैन्दी पर के०एम 8 एमएम लिखा है तथा वरामद ईको कार के पेपर मांगे गये, दिखाने से कासिर रहे, जिसे धारा–207 एम०वी०एक्ट में सीज किया जायेगा। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों–निर्देशों का पालन किया गया तथा मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया एवं मौके पर जनता के गवाहन फराहम करने का प्रयास किया गया पर सुनसान जगह व रात्रि होने के कारण जनता का कोई व्यक्ति नहीं मिला। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी वादी उप निरीक्षक द्वारा टार्च व कार सरकारी की रोशनी मे बोल बोल कर व० उप निरीक्षक बलवीर सिंह से लैपटाप पर मौके पर तैयार कराई गयी। वरामदा रूपये व 02 अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस व खोखा कारतूस 315 बोर व 9 एमएम खोखा कारतूस को अलग अगल प्लास्टिक डिब्बो में रखकर डिब्बो को टेपिंग कर धागे से बाधकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर वनाया गया। फर्द मौके पर तैयार कराकर फर्द का मजबूद पैन ड्राईव मे सेव कर कां० 938 जतिन कुमार को देकर थाने से फर्द की दो प्रति निकलवाकर मंगवाकर पुनः फर्द का मजबून हमराही कर्मचारीगण व घायल अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी व विट्ठल वंसल उर्फ ललित व का० सुधार पाल को फर्द का मजबून हास्पिटल मे पढकर सुनाकर नियमानुसार आलामात बनवाये जायेगे। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के बताये अनुसार परिजनो को दी जायेयी। गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियोग्राफी धारा–105 बीएनएसएस का पालन करते हुये कां० 459 अंकुर

से बनवाई गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी की सहमति से विट्ठल वंसल उर्फ ललित को दी गयी तथा अभियुक्तगण के अलाहामात बनवाये गये।

6– इस प्रकार पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि फर्द के अनुसार वर्तमान अभियुक्तागण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी, विट्ठल बंसल उर्फ ललित, इमरान के साथ मिलकर अवैध असलाह से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर कां० सुधीरपाल को घायल किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर अवैध आग्नेयास्त्रों से की गयी फायरिंग व हमले के जवाव में पुलिस द्वारा की गयी जवावी फायरिंग में मौके से अभियुक्त नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी जो कि घायल अवस्था में पड़ा था,को पकड़ने पर उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर,नाल से एक खोखा कारतूस एवं जमींन से एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है एवं मौके से गिरफ्तार दूसरे घायल अभियुक्त विट्ठल बंसल उर्फ ललित के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर,नाल मे फसा एक जिन्दा कारसतूस एव जेब से एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में अभियुक्तगण के द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा इसी महीने एक व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक,बिनावर में रूपयों का लालच देकर 16000/–रूपये ले लिए थे और उस दिन उनका पूरा गैंग वे स्वंय तथा उनके साथ हमराही इमरान अली पुत्र रियासत अली व चांदनी पत्नी नवीन उर्फ सनी उर्फ लकी व रूकसार पत्नी इमरान भी थे तथा ईको कार भी उनके पास थी उन सभी ने रैकी करते हुए बैंक के अंदर उक्त दोनों अभियुक्तगण गये तथा वाकी तीनों बाहर से रैकी कर रहे थे। आज भी वे बैंक देखने आये थे और सुबह मौका मिलने पर पुनः नया मुर्गा फसाकर अपने काम को अंजाम देते। अभियुक्त नवीन ने बताया कि भागने वालों में उसकी पत्नी चांदनी तथा उसका साला इमरान एवं इमरान की पत्नी रूकसार है। ईको कार को चैक करने पर कण्डैक्टर की सीट की तरफ से एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर पड़ा मिला तथा कार के सम्बन्ध में नवीन ने बताया कि कार उसके नाम है और बरामद रूपये के बारे में बताया कि जो उन्होने विनावर बैंक से एक व्यक्ति से 16000/–रूपये ठगे थे,उन्होने आपस में आधे–आधे बांट लिये। इस प्रकार उपरोक्त दोनों अभियुक्तागण चांदनी एवं रूकसार द्वारा सह अभियुक्तगण नवीन उर्फ लक्की उर्फ सनी व विट्ठल बंसल उर्फ ललित द्वारा एक गिरोह के रूप में भिन्न–भिन्न स्थानों पर ठगी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और मौके पर सभी अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके कां० सुधीर पाल को घायल किया गया है। पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या दि० 16–08–2026 में अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–187/2026 धारा–318(4),317(2)बी०एन०एस० तथा मु०अ०सं०–201/2026 धारा–109(1)/191(2)बी०एन०एस० थाना बिनावर जनपद बदायूँ दर्शाया गया है। मौके से गिरफ्तार सह अभियुक्तगणों का लूट व ठगी करने का लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा उक्त अभियुक्तगण द्वारा भी सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर भिन्न–भिन्न स्थानो व राज्यो में ठगी व लूट की घटनाओं को गैंग के सदस्यों के रूप में अंजाम देने मे सक्रीय भूमिका निभाई गयी है।

7– अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के क्रम में वर्तमान अभियुक्तागण चांदनी व रूकसार द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है

आदेश

अभियुक्तागण चांदनी व रूकसार की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दि०: 18–08–2026

(सुरेन्द्र पाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या 09,बदायूँ।
J.O. Code–UP 2648

Digitally signed by SURENDRA PAL SINGH
Date: 2026.08.18 16:51:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court